तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाता है। वास्ते प्रा॰ पत्र धारा 212 RTAct पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 15/12/2023 को पेश है। अतः स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी 15/12/23 तक दिया जाता है।
	Prunjani सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर
15/12/23 देवाराम	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर हैं/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18/12/23 को पेश हो। पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप॰। अतः स्थगन आदेश आगामी पेशी दिनांक 21/12/23 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली दिनांक 21/12/23 को पेश हो।
देवाराम	Prunjani सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर
21/12/23	पत्रावली पेश। अधि॰ प्रार्थी उप॰। पूर्व में अप्रार्थी सं॰ 03 की ओर से जवाब प्रा॰ पत्र प्रस्तुत, जो मूल दावा के साथ संलग्न है। दिनांक 16/08/23 को अप्रार्थी सं॰ 01 व 02 के विरुद्ध जवाब बंद की कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी सं॰ 03 ने अपने जवाब में प्रा॰ पत्र के सभी तथ्यों को स्वीकार किया है। अतः बहस की आवश्यकता नहीं है। मुताबिक प्रा॰ पत्र - " प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं॰ 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि, ख॰ नं॰ 128/3, रकबा 10 बिस्वा (गै॰ मु॰ बाड़ा) बिरडावास गांव में स्थित है। उक्त जमीन पर स्व॰ किरताराम के चारों पुत्र 1/4 - 1/4 भाग पर काबिज है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जा की भूमि पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य में दखल पैदा कर रहे हैं। अप्रार्थी सं॰ 01 व 02, प्रार्थी को आम सड़क पर हिस्से से बेदखल कर, जहाँ रास्ता नहीं लगता वहाँ हिस्सा लेने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस आशय की T2 जारी की जावे कि प्रार्थी के हिस्से की जमीन के उपयोग - उपभोग में अप्रार्थी सं. 01 व 02 बाधा कारित ना करे।"

मूल पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ख. सं. 128/3 गैं. मु. बाड़ा दर्ज है। उक्त खसरे के संबंध में ILR काकेलाव की मौका रिपोर्ट अनुसार लट्ठा नक्शा में ख. नं. 128/3 की तरमीम नहीं है। मौके पर खसरा में रहवासीय मकान व बाड़ा है। इससे यह स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेंट ख. सं. 128/3 गैं. मु. बाड़ा दर्ज नहीं था। अतः इस पर राज. काश्तकारी अधि. लागू नहीं है। प्रार्थी सक्षम स्तर पर प्रा. पत्र दायर करे। प्रा. पत्र खारिज किया जाता है (न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण) पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश पढ़कर सुनाया गया।

देवाराम

Priyanka
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT) जोधपुर

पुनश्च
मूल पत्रावली वाद में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में ख. सं. 128/3 प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अतः अंतर्गत धारा 151 CPC प्रा. पत्र पुनः रिस्टोर किया जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनों प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः तार्फैसला मूलवाद वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्ष बनाए रखें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफतर हो।

Priyanka
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर